

परिवहन विभाग, नया रायपुर
मोटर वाहन नालान / बन्द किये जाने का प्रपत्र
क्रमांक

[illegible]

① मोके पर वैध form-47 (Authorisation -
certificate) प्राप्त नही किया गया।

② मोटरवाहन अधिनियम को धारा-213(5) के अन्तर्गत

पिता/पति का नाम श्री Asad Khan
 आना Sumayyoor प्रदेश Asad Khan
 को 10 बजे दिन को Asad Khan के साथ लगाये गये उक्त अभियोग/अभियोगों के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए उपस्थित
 होऊंगा तथा उपस्थित होने से मुकदमे पर इसे नकार के लिए उत्तरदायी हूँ कि उत्तराखण्ड सरकार के प्रति र
 देने का उत्तरदायी होऊंगा। Asad Khan

हस्ताक्षर अभिव्यक्त

Satwinder Singh
भाग-

पुनर्तन अधिकारी द्वारा रोक गये पत्रों की सूची

HC 95 above
sect 05 in all

1. सादरी

2. साक्षी

उक्त प्रपत्रों का अस्थायी अधिकार पत्र दिनांक पूर्व में हो, वैध होगा। चालान की एक प्रति प्राप्त की।

...तथा अथवा मूल प्रपत्र प्रपत्र की वैधता की तिथि तक, जो

हस्ताक्षर अमियुक्ता

Satzwinder-Sitz

भाग-4

माडी बन्द करने का आदेश

प्रगारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष.

थाना

जिल्हा

ઉપર સુલ્લિખિત અભિયોગ ક્રમાંક

के कारण उक्त यान को मोटरयान अधिनियम, 1983 की धारा 207 की उपधारा 207A द्वारा मोटरयानों के कर्तव्य अधिनियम, 1997 की धारा 22 की उपधारा (1) अगिरदा में रखा जाना है।

सबत यान को आगामी आदेशों तक अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाये।

सिंह-वाहन / वाहन स्वामी यदि चारों तरफ वाहन में लदे माल को इस प्रतिक्रिया के साथ उतरवाकर ले जा सकता है कि मोटरवाहन
संविधान 1988 की धारा 113 व 114 का उल्लंघन कदापि न हो।

1997年12月

हस्ताक्षर प्रवर्तन अधिकारी, मुहूर

भाग-5

थाने से प्राप्ता रसीद

वैमिश्र संख्या

प्रकार

बच्चे अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने हेतु लिया गया।

प्रवर्तन अधिकारी का

1997年12月31日

हैलॉ लाईन नं०

हस्ताक्षर

विद्यया विमुक्तयेति

फाइल नं. (अ. २०५०) ०४ परिवहन / १३५-२१-०१-२०१०-१००० युवत (कम्प्यूटर) / २०१०